न्यायालय : न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : करतार सिंह पूनियां, आर0ए0एस0

न्याय निर्णयन आवेदन सं0 09/16

श्री प्रदीपकुमार राजपूत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्री गंगानगर।

बनाम

मै. पूजा बर्फी हाउस, प्रो. श्री अशोक कुमार पुत्र कश्मीरी लाल,47 बी प्रेम नगर, वार्ड नं 20, श्रीगंगानगर

अभियुक्त

अपराध अ0 धारा 26 उपधारा 2(ii)
एसएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

निर्णय दिनांक : 11.02.2017

संक्षेप में प्रकरण के सुसंगत एवं सारगर्भित तथ्य इस प्रकार हैं कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री प्रदीपकुमार राजपूत दिनांक 06-06-12 से कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वा0 अधिकारी, श्री गंगानगर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्य सम्पादन कर रहे हैं और उसे राज्य सरकार के आदेश कमांक एच/पीएफए/एफएसएसए/नोटिफिकेशन 2012/568 दिनांक 28-5-12 के द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया है। शासन की अधिसूचना/2011/496 दिनांक 18-8-11 के अनुसार इनका कार्यक्षेत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्री गंगानगर आवंटित किया गया है और जिला श्री गंगानगर के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र कार्यक्षेत्र में बताए गए हैं।

श्री प्रदीप कुमार राजपूत खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 16.10.2015 को 03:20 पी.एम. पर चैकिंग करने हेतु मै. पूजा बर्फी हाउस, प्रो. अशोक कुमार पुत्र कश्मीरी लाल, 47 बी प्रेम नगर, वार्ड नं 20, श्रीगंगानगर मावा मिठाई बनाने हेतु एक टीन में रखा था, जो कि करीबन 15 कि.ग्रा. के आसापास मावा था, जो बारते मिठाई बनाने हेतु रखा हुआ था। उसमें मिलावट का शक होने पर उसमें से 2 किलोग्राम मावा बर्फी बारते नमूना जांच संख्या के-599 चार साफ सूखे व खाली बर्तन में 500 ग्राम के हिसाब से लिया और खरीद शुदा मावा की कीमत अखरे रूपये 400/- श्री अशोक कुमार पुत्र रामलाल एवं राकेश सचदेवा गवाह के सामने देकर रसीद प्राप्त की। श्री अशोक कुमार पुत्र कश्मीरी लाल को फार्म नं0 5 ए पर नोटिस देकर बता दिया था कि नमूना बारते जॉच लिया गया है, जिसको पढ समझ कर सही मानकर श्री अशोक कुमार ने हस्ताक्षर किये। फार्म नं0 5 की एक प्रति श्री अशोक कुमार को देकर रसीद प्राप्त की गई। खरीद शुदा मावा को एकरूप करके चार साफ सूखी व खाली शीशीयों में बराबर-2 डालकर प्रत्येक शीशी में फार्मलीन की 40-40 बूँदें डालकर डॉट लगाकर लेबल तैयार किये और उन पर खाद्य नमूना सं0 के-599 एवं अन्य विवरण दर्ज कर उन पर स्वंय ने व विकेता एवं गवाहान ने हस्ताक्षर किये और इनको प्रत्येक शीशी पर चिपकाया गया। प्रत्येक शीशी को खाकी कागज से लपेट कर प्रत्येक शीशी पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्री गंगानगर की हस्ताक्षर शुदा स्लिप के-599 नियमानुसार नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपका कर प्रत्येक शीशी को धागे से बॉध कर चार-चार जगह सील चपड़ी किया और प्रत्येक सील्ड शीशी पर श्री अशोक कुमार पुत्र कश्मीरी लाल के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लीप एवं रेपर दोनों पर आवें। इन चारों सील्ड शीशीयों पर नियमानुसार गवाह श्री अशोक कुमार एवं राकेश सचदेवा के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वंय ने किये और इन चारों सील्ड शीशीयों को अपने कब्जे में ले लिया। इस समस्त कार्यवाही की मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की गई। इसके पश्चात् फार्म नं0 6 की सात प्रतियॉ तैयार की गई और प्रत्येक पर सील नमूना अंकित किया गया। जॉच नमूनों की कार्यवाही सम्पूर्ण की गई।

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner

A5
2

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना सं0 के–599 की एक सील्ड शीशी को फार्म नं0 6 की एक प्रति के साथ सील बन्द कर जन विश्लेषक, राजस्थान, जयपुर के पास जॉच हेतु भिजवाई, जिसकी प्राप्ति रसीद प्राप्त की गई और फार्म नं. 6 की द्वितीय प्रति, जिसमें सील नमूना अंकित था, अलग से जन विश्लेषक एवं खाद्य विश्लेषक, राजस्थान, जयपुर को भिजवाई, जिसकी प्राप्ति रसीद प्राप्त की गई। खाद्य नमूना के–599 के द्वितीय एवं तृतीय भाग को फार्म नं0 6 की दो प्रतियों के साथ एक आउटर कवर पैकेट में सील बंद कर एवं खाद्य नमूना के चतुर्थ भाग को फार्म नं0 6 की एक प्रति के साथ एक आउटर कवर पैकेट में सील बंद कर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वा0 अधिकारी के पास जमा करवा दिया। इसके पश्चात् खाद्य विश्लेषक, राजस्थान, जयपुर की जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/2809/एक्ट/ 2015/1065 दिनांक 29.10.2015 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना के–599 मावा की खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) के अन्तर्गत अवमानक (सब – स्टैण्डर्ड) पाया गया। इस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्री गंगानगर ने पत्र कमांक 22188–89 दिनांक 02.12.215 की पालना में अभियुक्त के विरूद्ध एफ एस एस ए एक्ट 2006 नियम 2011 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 26.04.2016 को प्रस्तुत किया गया।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कहा कि तथाकथित सैंपल वास्ते जांच हेतु विधि व वैज्ञानिक प्रक्रिया की पालना न करते हुए कार्य किया गया है, आरोपित कार्यवाही की दिनांक व समय का कोई गवाह उपस्थित नहीं था और न ही नमूना लिए जाने की प्रक्रिया किये जाने के समय नमूना सुरक्षित और प्राकृतिक अवस्था में था। इसके सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई और ना ही अप्रार्थी के सामने सील्ड मोहर किया गया था, अशोक कुमार के खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाये थे। परिवाद में प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में मिल्क फैट की मात्रा 22.34 प्रतिशत दर्शित की गई है और बी. आर. रीडिंग 42.01 बतई गई है इस रिपोर्ट में नमूना में शुगर (चीनी) की उपस्थिति भी बताई गई है लेकिन नतीजा निकाले जाने के समय नमूना में से चीनी की मात्रा को घटाए बिना उपलब्ध पदार्थ में से मिल्क फैट की उपस्थिति दर्शित की गई है। चीनी की मात्रा ना घटाए जाने के कारण रिपार्ट सही व सत्य नहीं रह जाती है। रिपोर्ट के अनुसार मावा में शुगर मिली हुई थी। मिठाई बनाने के कार्य के समय मावा में चीनी को आरोपित सैंपल में से घटाया जाना आवश्यक था लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही को समाप्त किया जावे।

अभियुक्त के अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से नरमी का रूख अपनाते हुए प्रकरण का निर्णय किया जावे।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त श्री अशोक कुमार पुत्र कश्मीरी लाल लिया गया मावा का सैम्पल के–599 जाचं रिपोर्ट क्रमांक लएस/2809/एक्ट/ 2015/1065 दिनांक 29.10.2015 द्वारा सबस्टैण्डर्ड (अमानक) पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) के उल्लंधन का अपराध साबित होता है।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया। जांच रिपोर्ट के अवलोकन से पाया गया कि जांच के बिन्दु संख्या 01 में वर्णितानुसार Milk Fat Content of the finished product (on dey weight basis (Manual of method of analysis of food by D.G.H.S. New Delhi) की value Not less than 30.0% होनी चाहिए थी, जबकि जांच अनुसार मावा में 22.34% पाया गया है इसी प्रकार बिन्दु संख्या 03 में वर्णितानुसार Test for added Sugar (on dey weight basis (Manual of method of analysis of food by D.G.H.S. New Delhi) की value Should be negative होनी चाहिए थी, जबकि जांच अनुसार मावा में Positive पाया गया है, इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया मावा का सैम्पल सबस्टैण्डर्ड (अमानक) है।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)

Scanned by CamScanner

A5
3

फलस्वरूप, पूजा बर्फी हाउस, प्रो. श्री अशोक कुमार पुत्र कश्मीरी लाल, 47 बी प्रेम नगर, वार्ड नं 20, श्रीगंगानगर को एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 उपधारा 2(ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त श्री अशोक कुमार पुत्र कश्मीरी लाल को एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत राशि रूपये 7500/- (अखरे रूपये सात हजार पांच सौ मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 11.02.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11/2/17

(करतार सिंह पूनियां)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशा0)
श्रीगंगानगर।

Scanned by CamScanner